

तंबाकू उत्पादों के कर उपचार पर पुनः गौर करें

प्रश्न पत्र- 3 (भारतीय अर्थव्यवस्था)

स्रोत- द हिन्दू

चर्चा में क्यों ?

- 'यह चिंता का कारण है कि अधिकांश देश तंबाकू उत्पादों को कम किफायती बनाने के लिए नियमित रूप से उन पर कर बढ़ाते हैं, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया है।
- तंबाकू कराधान के लिए GST प्रणाली, खपत को विनियमित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के प्रयासों में बाधा बन रही है।

प्रमुख बिंदु

- एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक **द वेल्थ ऑफ नेशंस** में तर्क दिया कि चीनी, रम और तम्बाकू जैसी वस्तुएं, हालांकि जीवन के लिए आवश्यक नहीं हैं, किन्तु व्यापक रूप से उपभोग की जाती हैं, और इस प्रकार ये कराधान के लिए अच्छी उम्मीदवार हैं।
- भारत और दुनिया भर में अनुसंधान तंबाकू की खपत को विनियमित करने के लिए करों के उपयोग का समर्थन करता है। हालांकि, भारत में, 5 वर्ष पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेशन (GST) के लागू होने के बाद से तंबाकू करों में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, जिससे ये उत्पाद तेजी से सस्ते हो गए हैं।
- 2017 में, तंबाकू के उपयोग और धुएं के संपर्क के कारण आर्थिक बोझ और स्वास्थ्य देखभाल खर्च \$2,340 बिलियन या सकल घरेलू उत्पाद का 1.4% था, जबकि भारत का औसत वार्षिक तंबाकू कर राजस्व केवल \$537.5 बिलियन था।
- भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के सरकार के लक्ष्य के बावजूद, तंबाकू की बढ़ती सामर्थ्य इस दृष्टि के लिए खतरा है और GDP वृद्धि को नुकसान पहुंचा सकती है। तम्बाकू का उपयोग भारत में प्रतिदिन लगभग 3,500 मौतों का कारण भी है, जो मानव पूंजी और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है।
- किसान संघों ने केंद्र से तंबाकू उत्पादों पर स्थिर कराधान बनाए रखने का आग्रह किया।

- भारत में GST प्रणाली पूर्व-GST प्रणाली की तुलना में यथामूल्य करों पर अधिक निर्भर करती है, जो मुख्य रूप से विशिष्ट उत्पाद करों का उपयोग करती थी। जीएसटी या मूल्य वर्धित कर (वैट) वाले कई देश तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क भी लागू करते हैं।
- भारत में, कुल तंबाकू करों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क का हिस्सा सिगरेट (54% से 8%), बीड़ी (17% से 1%), और धुआं रहित तंबाकू (59% से 11%) के लिए पूर्व-GST से पोस्ट-GST तक काफी कम हो गया है।
- मुआवजा उपकर के साथ-साथ राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क, या NCCD (यह वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची के तहत निर्दिष्ट कुछ विनिर्मित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाता है) का एक बड़ा हिस्सा वर्तमान में तंबाकू उत्पादों पर लागू होता है। यदि मुद्रास्फीति को समायोजित करने के लिए विशिष्ट करों को नियमित रूप से संशोधित नहीं किया जाता है, तो वे अपना मूल्य खो देते हैं।

सिंगल सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने की सिफारिश

उत्पाद कराधान में विसंगतियां

- तंबाकू उत्पादों के बीच कराधान में बड़ी विसंगति है। सिगरेट के केवल 15% तंबाकू उपयोगकर्ताओं के होने के बावजूद, वे 80% या अधिक तंबाकू कर उत्पन्न करते हैं। बीड़ी और धूम्ररहित तंबाकू पर कर कम हैं, जिससे उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि कोई भी अन्य की तुलना में अधिक या कम हानिकारक नहीं है।
- विशेष रूप से, सिगरेट की तरह ही हानिकारक होने के बावजूद बीड़ी GST के तहत क्षतिपूर्ति उपकर के बिना एकमात्र तंबाकू उत्पाद है। बीड़ी पर उपकर की कमी का कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य तर्काधार नहीं है।
- सिगरेट के लिए मौजूदा 6-स्तरीय कर संरचना जटिल है और समान नाम वाले ब्रांडों के लिए सिगरेट की लंबाई और फिल्टर में हेरफेर करके सिगरेट कंपनियों के लिए कानूनी रूप से करों से बचने के अवसर पैदा करती है।
- इस स्तरीय प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहिए या दो स्तरों तक कम कर दिया जाना चाहिए।
- तंबाकू के पत्ते, तेंदू पत्ते, पान के पत्ते, सुपारी आदि जैसे कुछ धुएं रहित तंबाकू सामग्री पर GST की दर या तो शून्य या 5% -18% GST है।

आगे की राह

- तंबाकू बनाने के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले सभी उत्पादों को एकसमान 28% GST स्लैब के तहत लाया जाए।
- भारत में धुआं रहित तंबाकू उत्पादों पर उनके छोटे खुदरा पैक आकार (अक्सर 1/2 ग्राम या उससे कम) के कारण अप्रभावी रूप से कर लगाया जाता है, जिससे कीमत कम रहती है। मानकीकरण और खुदरा मूल्य बढ़ाने के लिए, धुआं रहित तंबाकू पाउच (कम से कम 50 ग्राम-100 ग्राम) के लिए अनिवार्य मानकीकृत पैकिंग लागू की जानी चाहिए।

- GST वर्तमान में 40 लाख रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले छोटे व्यवसायों को छूट देता है। कई धूम्ररहित तंबाकू और बीड़ी निर्माता अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, जो इन उत्पादों पर कर आधार को कम करता है। जबकि इन छूटों का उद्देश्य छोटे व्यवसायों की रक्षा करना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य तर्क के लिए यह आवश्यक है कि वे उन व्यवसायों तक विस्तारित न हों जो तंबाकू उत्पादों का उत्पादन या वितरण करते हैं। इसलिए इन छूटों पर शर्तें लगाई जानी चाहिए।

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

प्रश्न- निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (GSTN) एक गैर-लाभकारी संगठन है जो GST के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, करदाताओं और अन्य हितधारकों को IT अवसंरचना और सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है।
2. GSTN में भारत सरकार की 51% हिस्सेदारी है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) 1 और 2 दोनों
- (b) केवल 1
- (c) केवल 2
- (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

An Institute for IAS

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न- पिछले पांच वर्षों में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) एक्ट की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं और जीएसटी प्रणाली के लिए प्रमुख चुनौतियों को उजागर कीजिए। (250 शब्द)